संख्या–3 / 4 / 86–का.–2 / 1998

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव,
उ. प्र. शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ.प्र. शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ.प्र.।
3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ.प्र.।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 15 सितम्बर्र, 1998

विषय : उ. प्र. (उ. प्र. लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 से आच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 के आदेश संख्या 3 / 4 / 86–का–2 / 1998 दिनांक 2 सितम्बर, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश (उ. प्र. लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 से आच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा प्रदान की जाए तथा श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता पद के लिए निर्धारित न्यूनतम, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से दो कक्षा कम होगी। उदाहरर्णाथ यदि पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इन्टरमीडिएट परीक्षा पास होना है तो योग्यता हाईस्कूल से अधिक नहीं होगी। यदि पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है तो श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। यदि पद के लिये न्यूनतम शौक्षिक अर्हता स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है तो श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता इन्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। इस निर्णय के आधार पर उपर्युक्त शासनादेश का बिन्दु–2 जिसमें श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना लिखा गया है को निम्नानुसार संशोधित समझा जायः–

"(2) श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से दो कक्षा कम होगी। यदि पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक डिग्री है तो लेखन सहायक की शैक्षिक अर्हता इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण से अधिक नहीं होगी। यदि पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना है तो श्रुत लेखक (लेखक सहायक) की शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल से अधिक नहीं होगी।"

2– कृपया शासनादेश संख्या 3 / 4 / 86–का–2 / 1998 दिनांक 2 सितम्बर, 1998 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। इस शासनादेश की अन्य शर्तें / निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

भवदीय,
(सुधीर कुमार)
सचिव

संख्या : 3 / 4 / 86–का–2 / 1998, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र. शासन।
3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ.प्र. शासन।
4. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
5. सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ.प्र.।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
7. निदेशक, इमडप, उ.प्र.।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद / लखनऊ।
9. प्रशासक, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. सचिव, उ.प्र. लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(डा. जी. सी. पाण्डेय)
विशेष सचिव